न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दूदू , जिला राज0

पीठासीन अधिकारी – रतनलाल योगी आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या – 19 / 2021

अन्तर्गत धारा – खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक – 31.01.2024

सरकार जरिये संदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय

प्रार्थी–आवेदक

बनाम

1 जुगल किशोर साहु पुत्र श्री सत्यनानायण साहु (खाद्य कारोबारकर्ता)

मैसर्स :– साहु मिष्ठान्न भण्डार,

मालपुरा रोड, दूदू,

हाल– निर्माण इकाई :– वाला मार्केट, दूदू, जिला दूदू, राज0।

अप्रार्थी–अभियुक्त

उपस्थित अधिवक्ता – ताज मौहम्मद

अर्न्तगत धारा 26 की उप धारा 2 (।।)/ 51 एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

परिवाद अर्न्तगत धारा 26 की उप धारा 2 (।।)/ 51 एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 सरकार जरिये संदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय, राज0 द्वारा पेश किया गया। जिसका सार निम्नानुसार है–

1. यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.11.2020 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय में कार्य सम्पादन कर रहा है। मुझे राज्य सरकार के द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक एच/पीएफए/नाटिफिकेशन 2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय में मुख्यालय में नियुक्ति हेतु श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक एच/पीएफए / नोटिफिकेशन 2011/475 दिनांक 10.08.2011 है तथा मेरा क्षेत्राधिकार बाबत गजट नोटिफिकेशन आदेश कमांक एसएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/496 दिनांक 11.04.2012 है के अनुसार जयपुर द्वितीय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आते है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दूदू

Scanned with OKEN Scanner

2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.11.2020 को दोपहर 2.00 बजे मैसर्स :– साहु मिष्ठान भण्डार, मालपुरा रोड,दूदू पर बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते गश्त चैकिंग पहुँचा। वहाँ जुगल किशोर साहु पुत्र श्री सत्यनारायण साहु उपस्थित थे। मैने अपना परिचय दिया एवं परिपत्र दिखाया तथा पूछने पर जुगल किशोर साहु ने स्वयं को मैसर्स :– साहु मिष्ठान भण्डार, मालपुरा रोड, दूदू का खाद्य कारोबारकर्ता होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जुगल किशोर साहु से वर्ष 2020 का खाद्य सुरक्षा पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा। जिस पर उन्होने मौके पर स्वयं के आधार कार्ड एवं फर्म के खाद्य रजिस्ट्रेशन की छायाप्रतियां प्रस्तुत की जो रिकार्ड मे संलग्न है।

3. यह कि आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स :– साहु मिष्ठान भण्डार, मालपुरा रोड, दूदू की निर्माण इकाई वाला मार्केट दूदू का निरीक्षण करने पर एक स्टील के भगोने में लगभग 40 किलोग्राम मावा रखा हुआ था जिसको विभिन्न प्रकार की मावा मिठाईयों को बनाने में काम में लिया जा रहा था। इन तैयार मिठाईयों को आम जनता को विक्रय किया जाना था। उक्त खाद्य पदार्थ मावा में गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर 1 किलोग्राम मावा वास्ते नमूना जॉच संख्या एएन–2115 खरीदकर उसकी कीमत 220/– रूपये विक्रता जुगल किशोर साहु को नगद अदा कर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। उपस्थित गवाहान श्री शिवराज सिंह तथा श्री दीपक कुमार सिंधी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो आवदेन के साथ संलग्न है।

4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने साथ ही मौके पर विक्रेता को लिखित रूप से फार्म संख्या 5 ए पर सूचित किया कि आप द्वारा विक्रय किया जा रहा मावा 1 किलोग्राम नमूना वास्ते जॉच क्रय कर लिया गया है फॉर्म 5 ए की तैयार प्रतियों को विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे जुगल किशोर साहु ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति विक्रेता जुगल किशोर साहु को देकर प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए एवं फर्द रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मावा 1 किलोग्राम को एक साफ सुखे खाली स्टील के भगोने में खरीद कर हिला–मिलाकर एक रूप कर चार साफ सुखी व खाली प्लास्टिक की शीशियों में बराबार–बराबर डालकर प्रत्येक में 40–40 बून्दे प्रिजरवेटिव फार्मेलीन की डालकर एयरटाईट ढक्कन लगाकर पेक किया एवं एक जैसे चार लेबल तैयार कर चारों नमूल शीशीयों पर अलग–अलग चिपकायें और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं कमांक ए.एन–2115 एवं नमूने का विवरण अंकित या। प्रत्येक लेबलपर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एन.–2115 नियमानुसार चारों नमूल बोतलों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना शीशीयों पर नियमानुसार गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दिक कर हस्ताक्षर किये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर की जाकर कार्यवाही की मौका फर्द रिर्पोट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाई व

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

Scanned with OKEN Scanner

समझाई जिन्होंने सत्य मान तस्दीक कर हस्ताक्षर किये मैंने स्वयं नमूना सील की मुद्रा मौका फर्द पर अंकित कर हस्ताक्षर किये। मौके पर सील्ड नमूना संख्या ए एन -2115 के चारों नमूना भाग व मौके कागजात को अपने जापते में लिया। जो संलग्न आवेदन है।

6 यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं0 6 की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर को जमा कराकर फॉर्म सं0 6 की द्वितीय प्रति पुरत पर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फॉर्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदें प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

7. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/490 दिनांक 09.12.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2047/एक्ट/2020/1947 दिनांक 24.11.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा 1 किलोग्राम सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट फॉर्म बी पर मूल प्रति एवं पत्र आवेदन के साथ संलग्न है।

8. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता जुगल किशोर साहु पुत्र सत्यनारायण साहु मैसर्स :– साहु मिष्ठान भण्डार, गालपुरा रोड, दूदू को लिखा गया पत्र क्रमांक 116 दिनांक 05.04.2021 लिखा जिसके जवाब में कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ पत्र की मूल प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर उक्त प्रकरण से संबंधित समस्त पत्रावली श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। जिस पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड मावा का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत जुर्माना हेतु परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद मय वर्णित दस्तावेजात व सूची गवाहान के इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

उक्त आशय का परिवाद प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी करते हुए साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि फूड सेफ्टी ऑफीसर दीपक कुमार सिन्धी परिवाद पत्र को पेश करने हेतु अधिकृत किये गये थे तथा संदीप अग्रवाल को किसी प्रकार का कोई अधिकृत दूदू क्षेत्र के लिए नहीं किया गया है। साथ ही अन्य नजीरों का हवाला देते हुये इस प्रकार के मामलों में जुर्माने के प्रावधानों का अंकन करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दूदू

Scanned with OKEN Scanner

कार्यवाही को अवैध एवं विधिक विरूद्ध बताते हुए प्रार्थना पत्र को मय जुर्माने के खारिज करने का कथन किया।

प्रकरण में अप्रार्थी वकील की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही निर्धारित मापदण्डों व प्रकिया के अनुरूप नहीं होने का कथन किया। लेबोरेट्री की जांच पर कथन किया कि वसा की मात्रा पशुओं को खिलाये जाने वाले चारे से एवं मौसम के परिवर्तन के अनुसार घटता बढता रहता है। इस प्रकार सब स्टैण्डर्ड में एक मात्र कमी फैट की कमी है।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र, नजीरों का अवलोकन एवं बहस का मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर उपलब्ध खाद्य सामग्री में गुणवत्ता की कमी के अंदेशे से की गई कार्यवाही नियम एवं प्रकियानुसार की गई है तथ अप्रार्थी द्वारा विक्रय के उद्देश्य से रखे खाद्य पदार्थ (मावा) के नमूने में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार वसा की मात्रा 30.0 प्रतिशत के मानक की तुलना में 20.52 प्रतिशत ही पाई गई है जिससे नमूना खाद्य पदार्थ सब स्टेण्डर्ड होना पुष्ट होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी जुगल किशोर साहु मैसर्स साहु मिष्ठान भण्डार हाल निर्माण इकाई बाला मार्केट, दूदू से वक्त निरीक्षण जब्त किया गया मावा नमूना जांच में सब स्टैण्डर्ड का पाये जाने से अप्रार्थी द्वारा सब स्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मान अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) का उल्लंघन किया है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ में ऐसी कोई मिलावट नहीं पायी गयी है जिससे कि उपभोग करने वाले के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडता हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत निर्धारित जुर्माना प्रावधान के तहत अप्रार्थी पर राशि 10000/रू. अक्षरे दस हजार रू. मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थी शास्ति राशि जरिये चालान जमा करा कर चालान की एक प्रति निर्णय दिनांक के एक माह के अन्दर–अन्दर इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में शास्ति की राशि जमा नहीं कराने पर प्रार्थी से कार्यालय द्वारा नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावे/लाइसेंस स्थगित किये जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नम्बर से कम हों।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दूदू, राज0

न्याय अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दूदू

Scanned with OKEN Scanner